न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 06/2015

उनवान

अमरसिंह पिता धुलसिंह राव जाति राव निवासी फलाबारा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

1) सनुलाल पिता दलजी भील जाति आदिवासी निवासी फलाबारा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
2) श्रीमति धुली बेवा दलजी भीलू जाति आदिवासी निवासी फलाबारा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
3) तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एंव 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक: . .2021

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह कि वादी के कब्जे ...स्वामित्व की आराजी भुमि आराजी नम्बर 805 वाके ग्राव फलाबारा तहसील गढी मे स्थित है। जिस पर ...वादी आज से 50 वर्षो से काबिज होकर खेती करता चला आ रहा है। इसी आराजी का एक भाग ...प्रतिवादी सनुलाल के पिता एवं धुली के पति श्री दलजी के खातेदारी का है। जिसमें प्रतिवादीगण काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार मौके पर वादी अपने हिस्से में तथा प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भुमि पर काश्त करते चले आ रहे है। गत सेटलमेंट के दौरान राजस्व कर्मियों की त्रुटी से वादी के कब्जे की भुमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड हो गई व प्रतिवादीगण के काश्त खातेदारी की भुमि श्री सरकार दर्ज हो गई। जिस वजह से मौके पर भारी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज से करीब 15 रोज पुर्व प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की भुमि मे वादी की भुमि को मिलाने बागड काटने का प्रयास किया तो वादी के रोकने पर प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त भुमि अपनी होना बताया जिस पर वादी ने राजस्व रेकार्ड की नगले प्राप्त की तो उसे राजस्व कर्मियों की उक्त त्रुटी का पता चला। वादग्रस्त भुमि पर वादी का ...कमात्र पैतृक कब्जा वर्षो से बना हुआ होकर वादी ही इस भुमि पर काश्त करता चला आ रहा है। ...तिवादीगण का इस भुमि पर कोई अधिकार नही है। इस वजह से कब्जे व काश्त की वजह से वादी ...भुमि का खातेदार घोषित होने का अधिकार रखता है। जिस हेतु धारा 88 के तहत दावा पेश है। ...वादीगण का इस भुमि पर कोई अधिकार नही है तथा मात्र राजस्व कर्मचारियो की त्रुटी का गलत ...यदा उठाने की गरज से मौके पर विवाद उत्पन्न कर वादी की भुमि हडपना चाहते है व मौके पर ...गातार अतिक्रमण का प्रयास कर रहे है जिसे रोका जाना आवश्यक है। राजस्व कर्मचारियो की उक्त ...टी को दुरस् करने वादी की भुमि से प्रति वादीगण का नाम हटाया जाना आवश्यक है । इस हेतु धारा ...राज0 काश्तकारी अधिनियम एंव 136 LR Act के तहत वाद पेश हुआ।

...वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये ...पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री धमेंन्द्रसिंह, अभिभाषक का वकालातनाम पेश हुआ। ...वादी संख्या 03 की ओर से किसी के उपस्थित नही होने पर प्रतिवादी संख्या 03 के विरूद्ध एक ...कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। दौराने कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 02 के फोत होने तथा ...वारिसान पूर्व से प्रतिवादी के रूप में पक्षकार होने से प्रतिवादी संख्या 02 का नाम विलोपित किया ...पत्रावली प्रतिवादी के जवाब हेतु नियत की जाकर प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नही होन पर प्रतिवादी ...जवाब बन्द किया जाकर एक पक्षित कार्यवाही का आदेश पारित किया जाकर पत्रावली वादी की ...हेतु नियत की गई। वादी की साक्ष्य पेश होने के पश्चात् बन्द की जाकर प्रकरण में वादी ...भाषक की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन् करने तथा वादी की ओर से प्रस्तुत वाद ... संलग्न जमाबन्दी संवत 2066 से ...खाता संख्या 162 (नई) 136 (पुरानी), आंशिक नक्षा ट्रेस ग्राम फलाबारा, मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 ...फलाबारा, खसरा गिरदावरी संवत 2036 से 2039, खसरा गिरदावरी संवत 2069, खसरा गिरदावरी ...2058ख जमाबन्दी खेवट खतोनी संवत 2035 से 2038 आदि का अवलोकन करने पर पाया गया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वादी की ओर से अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत किसी भी दस्तावेजसे वादी को इमदाद दिया जाना न्यायोचित नही है। अतः वाद वादी अस्वीकार किया जाकर वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

आदेश

वाद वादी अस्वीकार किया जाकर वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक . .2021 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अतुल प्रकाश (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 06 / 2015

उनवान

अमरसिंह पिता धुलसिंह राव जाति राव निवासी फलाबारा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

) सनुलाल पिता दलजी भील जाति आदिवासी निवासी फलाबारा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
) श्रीमति धुली बेवा दलजी भीलू जाति आदिवासी निवासी फलाबारा तहसील गढी जिला बांसवाडा।
) तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एंव 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अस्वीकार किया जाकर वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिकी जारी की जाती है। दिनांक: . .2021

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक . .2021 को जारी की गई।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:08:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned by CamScanner